भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 385

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधानमंत्री-सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भुगतान संबंधी सुरक्षा तंत्र घटक

385. श्रीमती कलावेन मोहनभाई देलकरः
श्री नीलेश ज्ञानदेव लंकेः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री-सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल/यूटिलिटी-आधारित 'एग्रिगेशन मॉडल' के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा तंत्र और केंद्रीय वित्तीय सहायता घटक के कार्यान्वयन हेतु कोई परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

(ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उक्त मॉडलों के अंतर्गत चिह्नित परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त संघ राज्यक्षेत्र और राज्यों में सभी के लिए हरित ऊर्जा सुलभ बनाने और सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'प्रधानमंत्री-सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भुगतान संबंधी सुरक्षा तंत्र घटक' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 385 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 28.12.2024 को पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत रेस्को मॉडल/यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण (यूएलए) मॉडल के लिए "भुगतान सुरक्षा तंत्र" घटक और "केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)" घटक के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

रेस्को मॉडल/यूएलए मॉडल के लिए सीएफए घटक का उद्देश्य डिस्कॉम्स/राज्य सरकारों/राज्य द्वारा नामित संस्थाओं, मुख्य रूप से निम्न-आय वाले परिवारों/घरों को रेस्को और यूएलए मॉडल के तहत रूफ़टॉप सौर के विकास में सहयोग देना है।

इसके अलावा, इस योजना में रूफटॉप सौर में रेस्को आधारित मॉडलों में निवेशों को जोखिम-मुक्त करने के लिए 100 करोड़ रुपये के कोष से भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) के लिए एक अलग घटक भी है। भुगतान सुरक्षा निधि का उपयोग रेस्को विकासकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और डिस्कॉम/संविदाकारी पक्ष से भुगतानों के निपटान में विलंब से उन्हें बचाने के लिए किया जाना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त यूएलए प्रस्ताव, इस भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) का उपयोग कर सकते हैं ताकि टैरिफ निर्धारण के लिए एक खुली पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उन परियोजनाओं को भुगतान सुरक्षा प्रदान की जा सके जिसमें रेस्को डेवलपर्स को अनुबंधित किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, यूएलए चयनित रेस्को डेवलपर्स यूएलए के तहत किए जाने वाले 2000 रुपये प्रतिस्थापना के एक बार के पीएसएम शुल्क के माध्यम से पीएसएम कॉर्पस में योगदान करेंगे।

पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत उपलब्ध पीएसएम के अलावा, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने भी रेस्को डेवलपर्स के हितों की रक्षा के लिए अपने स्वयं के भुगतान सुरक्षा तंत्र भी स्थापित किए हैं।

पीएमएसजी: एमबीवाई के यूएलए मॉडल के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, असम, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	रूफटॉप सौर स्थापनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3,88,571
2	ओडिशा	1,50,000
3	असम	1,79,229
4	केरल	50,000
5	जम्मू एवं कश्मीर	2,22,568
6	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15,000
7	लद्दाख	7,000
	कुल	**10,12,368**

जबकि, रेस्को और यूएलए मॉडल के तहत अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होना है, परंतु दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र ने यूएलए मॉडल के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5,000 लाभार्थियों (दादरा एवं नगर हवेली में 4,850 तथा दमन

एवं दीव में 150) को चिन्हित किया है, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) श्रेणी से संबंधित हैं।

(घ) सरकार ने PMSG: MBYके अंतर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान में 6.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल मैन-पावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से योजना के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने हरित ऊर्जा को सर्वसुलभ बनाने और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों सहित देश भर में सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'प्रधानमंत्री-सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भुगतान संबंधी सुरक्षा तंत्र घटक' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 385 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

हरित ऊर्जा को सर्वसुलभ बनाने के लिए और देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- एमएनआरई ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईए: सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य (फर्म और डिस्पैचैबल) नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाए शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।

*****